P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika
E: ISSN NO.: 2349-980X Vol-II * Issue-XII*August-2015

उच्च शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता और विषयों का चयन : परिवर्तित आयाम

रंगोली चन्द्रा
एसोसिएट पोफेसर,
समाजशास्त्र विभाग,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र उच्च शिक्षा में विभिन्न विधाओं व पाठ्यक्रमों के प्रति महिलाओं की उन्मुखता व सहभागिता पर केन्द्रित है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अब तक उच्चतर शिक्षा में महिला नामांकन में व्यापक स्तर पर वृद्धि हुयी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महिलाओं का कुल नामांकन 10 प्रतिशत से भी कम था जिसमें शैक्षिक वर्ष 2012–13 में 44.4 प्रतिशत तक वृद्धि हो चुकी है। कुछ दशकों पहले तक महिलाएं उच्च शिक्षा में कुछ निश्चित व परम्परागत विषयों व पाठ्यक्रमों में अध्ययन करती थी, जैसे–कला, समाज विज्ञान एवं मानविकी तथा ऐसे पाठ्यक्रम जो उन्हें कुशल गृहणी बनाने में सहायक हों परन्तु वर्तमान में महिलाएं उच्च शिक्षा स्तर पर इन सामान्य व परम्परागत विषयों व पाठ्यक्रमों के साथ–साथ व्यावसायिक व तकनीकी विषयों/पाठ्यक्रमों जैसे अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी, चिकित्सा विज्ञान, शिक्षा, कृषि विज्ञान, विधि शास्त्र, वाणिज्य एवं अन्य विषयों में शिक्षा अर्जित कर रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप आधुनिक व्यवसायों को अपना रही हैं और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सभी क्षेत्रों मे सहभागी होकर समाज एवं राष्ट्र के विकास में योगदान दे रही हैं। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य वर्तमान समय में उच्च शिक्षा स्तर पर विषयों के चयन के प्रति महिलाओं की रूचि व रूझान में हुए बदलाव को विश्लेषित करना है।

मुख्य शब्द : उच्च शिक्षा, सहभागिता, महिलाएँ, पाठ्यक्रम, तकनीकी विषय।

प्रस्तावना

सामान्य भाषा में शिक्षा को सीखने–सिखाने की प्रक्रिया कहा जाता है जो मनुष्य के जन्म से आरम्भ होती है और जीवन पर्यन्त चलती रहती है। अतः शिक्षा का सम्बन्ध मानव जीवन से है। शिक्षा समाज का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। शिक्षा की यह धारणा इसकी मनोवैज्ञानिक धारणा से भी प्राचीन है जिसमें क्रिया व अध्ययन की इकाई व्यक्ति को माना जाता है। सभी धर्मों के ग्रंथों और प्राचीन साहित्य में भी शिक्षा को सांसारिक समाज के पुर्नसृजन का माध्यम माना गया है। अतः शिक्षा वर्तमान शताब्दी की वह सबसे महत्वपूर्ण संस्थागत प्रक्रिया है, जो व्यक्ति व समाज को विविध रूपों से प्रभावित करती है। प्रसिद्ध शैक्षिक समाजशास्त्री **फ्रांसिस जे. ब्राउन** ने कहा है, ''शिक्षा सचतन रूप से नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाए जाते हैं और व्यक्ति के द्वारा समूह (समाज) में परिवर्तन लाए जाते हैं।''[1] इस प्रकार शिक्षा, व्यक्ति एवं समाज में गहरा सम्बन्ध है। शिक्षा वह है जिससे मनुष्य जीना सीखता है, पर्यावरण से समायोजन करत हुए अपने अनुभवों के भण्डार में वृद्धि करता है, उनको संगठित करता है तथा अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। **टी0 रेमण्ट** के अनुसार, ''शिक्षा उस विकास का नाम है जो शैशव अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक होता ही रहता है अर्थात शिक्षा वह क्रम है जिससे मानव अपने को आवश्यकतानुसार भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है।''[2] इस प्रकार शिक्षा मनुष्य को उसके पर्यावरण से परिचित कराकर उसके अनुकूल चलने की प्रेरणा देता है। बच्चे व व्यक्ति के समाजीकरण में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। शिक्षा किसी भी समाज की निरंतरता व सुव्यवस्थित गतिविधियों के लिए आवश्यक है। **जी0 एच0 थामसन** का विचार है कि, ''शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर स्थायी रूप से परिवर्तन के लिए डाला जाता है।''[3]

शिक्षा का सम्बन्ध केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, उनके चरित्र एवं उनके मानसिक व आध्यात्मिक विकास से भी है। शिक्षा के सम्बन्ध में शुरू से हमारा चिंतन रहा है कि **'सा विद्या विमुक्तये'** अर्थात विद्या वह है जो व्यक्ति को संकुचित दायरे से निकालती है और उसकी

चेतना को अज्ञानता, ईर्ष्या और संकीर्णता से मुक्त करती है। इस सम्बन्ध में **श्यामाचरण दुबे** ने कहा है, ''शिक्षा को मनुष्य को अधिक पूर्ण मनुष्य बनाने में सहायक होना चाहिए।''[4] अतः शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को समाज की विभिन्न इकाइयों से परिचित करवाना है। शिक्षा का केवल सैद्धांतिक महत्व ही नहीं अपितु उसकी व्यावहारिक उपयोगिता है। सामाजिक नियंत्रण के अन्य साधन जो व्यक्ति को दबावपूर्ण ढंग से सामाजिक नियमों को मानने के लिए बाध्य करते हैं वहां शिक्षा स्वतः ही उसे आत्मविश्लेषण द्वारा अप्रभावात्मक ढंग से सामाजिक नियमों का पालन करने की प्रेरणा देती है। इसप्रकार शिक्षा जीवन के लगभग सभी आयामों से जुड़ी है। इसलिए बात चाहे किसी भी आयाम की, की जाए शिक्षा का प्रश्न सामने आ ही जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षा वह गतिशील सामाजिक प्रक्रिया है जो मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास करने में सहायक होती है, उसे विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से सामंजस्य करने में योगदान देती है, उसे जीवन एवं नागरिकता के कर्तव्यों व दायित्वों को पूर्ण करने के लिए तैयार करती है तथा उसमें ऐसा विवेक जाग्रत करती है जिससे वह अपने समाज, राष्ट्र, विश्व और सम्पूर्ण मानवता के हित में चिन्तन, संकल्प और कार्य कर सके।

स्त्री और शिक्षा–ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारत में ि"ाक्षा की परम्परा बहुत प्राचीन है। ि"ाक्षा को किसी भी वर्ग के विकास का पैमाना माना जा सकता है। वैसे समाज के प्रत्येक व्यक्ति आर हर एक वर्ग के लिए ि"ाक्षा जरूरी है लेकिन महिलाओं के लिए इसका महत्व कुछ अधिक ही है। क्योंकि कहा जाता है कि यदि एक पुरूष ि"ाक्षित होता है तो केवल पुरूष ही ि"ाक्षित होता है, लेकिन एक नारी ि"ाक्षित होती तो पूरा परिवार ि"ाक्षित होता है, आने वाली पीढ़ी ि"ाक्षित होती है और इस प्रकार दे"ा का भविष्य ि"ाक्षित होता है। अतः ि"ाक्षा एक स"ाक्त माध्यम है जो नई समाज व्यवस्था का सृजन करने के लिए महिलाओं को सक्षम बनाता है। इस सम्बन्ध में **विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग** (1948) के ये ऐतिहासिक शब्द ध्यान देने योग्य है कि, ''ि"ाक्षित स्त्री के बिना ि"ाक्षित पुरूष हो ही नहीं सकता। यदि पुरूषों और स्त्रियों में से केवल किसी एक के लिए सामान्य ि"ाक्षा प्रावधान करना हो तो यह अवसर स्त्रियों को दिया जाना चाहिए, क्योकि वह ि"ाक्षा स्वयं ही अगली पीढ़ी को प्राप्त हो जायेगी''।[5] भारतीय समाज में स्त्रिया की ि"ाक्षा के महत्व को द"ार्ाते **हुए शिक्षा आयोग** (1964–66) का मत है कि, ''स्त्रियों की ि"ाक्षा पुरूषों की ि"ाक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लड़कियों की ि"ाक्षा पर जितना भी जोर दिया जाये कम है''।[6] वास्तव में स्त्रियों की उन्नति व विकास से ही समाज की प्रगति का सूचकांक सिद्ध होता है। जो समाज अपने सैद्धांतिक व व्यावहारिक प्रणाली में स्त्रियों को यथोचित, मानवोचित, स्वतंत्रता व विकास का अवसर प्रदान करता है, वह समाज उतना ही प्रगति"ाील माना जाता है। अतः स्त्रियों के लिए ि"ाक्षा अनिवार्य है।

भारतीय समाज में स्त्रियों की ि"ाक्षा पर दृष्टि डालने पर पता चलता है कि प्राचीनकाल से लेकर वर्तमान समय तक काफी उतार–चढ़ाव की स्थिति बनी रही है। वैदिक युग को महिलाओं की सामाजिक व शैक्षणिक स्थिति के सन्दर्भ में स्वर्ण युग माना जाता है। इस समय ि"ाक्षा के मामले में पुत्र और पुत्री में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। उपनयन संस्कार के बाद कन्याएं भी वेदों का अध्ययन कर सकती थी। यह इस बात से स्पष्ट है कि ऋग्वेद के अनेक ऋचाएँ लोपामुद्रा, वि"ववारा, सिकता, निवावरी और घोषा आदि विदुषी स्त्रियों की रची हुई है। वैदिक युग में महिलाओं का एक ऐसा भी वर्ग होता था जो जीवन भर पठन–पाठन में लगा रहता था। इन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। सभी तथ्य यही द"ार्ाते हैं कि वैदिक युग में महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति अधिक मजबूत थी और उन्हें बिना किसी भेदभाव के ि"ाक्षा के अवसर उपलब्ध कराये जाते थे।

वैदिक युग के बाद ई0 पू0 600 से 300 ई0 पू0 के काल खण्ड जिसे क्रांति युग की संज्ञा दी जाती है। लगभग इसी समय कौटिल्य ने 'अर्थ"ाास्त्र' एवं मनु ने 'मनुस्मृति' की रचना की। इन महाग्रंथों में उस समय की सामाजिक स्थिति व समाज में महिलाओं की स्थिति का विस्तृत वर्णन है। निष्कर्षतः इसी काल में समाज में महिलाओं की स्थिति में हास शुरू हुआ, जिसका प्रभाव महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति पर भी पड़ा और महिलाओं के बीच ि"ाक्षा का प्रचार–प्रसार बहुत कम हो गया। इस समय प्रचलन में आये बौद्ध एवं जैन धर्मों में स्त्रियों को क्रम"ाः भिक्षुणी और साध्वी बनने का अधिकार था लेकिन इनकी स्थिति भिक्षु और साधकों से निम्न समझी जाती थी। बाद्ध एवं जैन धर्मों में तो महिलाओं की स्थिति हिन्दू धर्म की अपेक्षा ठीक थी। इसी समय हिन्दू समाज में 'संस्कार व्यवस्था' अस्तित्व में आयी, जिसमें महिलाओं को द्वोयम दर्जे का माना जाता था। तब महिलाओं को विवाह के अतिरिक्त अन्य किसी भी धार्मिक संस्कार में वेद मंत्रों का उच्चारण करने की मनाही थी। उनका उपनयन संस्कार नहीं होता था इसलिए न तो वे ि"ाक्षा प्राप्त कर सकती थी और न ही वेदों का अध्ययन कर सकती थी। इस प्रकार वैदिक युग में महिलाओं को जो गति"ालता प्राप्त थी, उसे भी सीमित कर दिया गया था, अब उन्हें अकेले बाहर जाने की अनुमति तक नहीं थी। इसके बाद गुप्त–युग में स्त्रियों की स्थिति में और अधिक दासत्व आ गया था। इस समय वे वेदों में न तो पाठ कर सकती थी और न ही उन्हें सुन सकती थीं। इसके प"चात् मुगल–काल के दौरान महिलाओं की सामाजिक व शैक्षणिक स्थिति सबसे खराब हालत में पहुँच गयी। ब्राह्मणों ने हिन्दू धर्म की रक्षा, रक्त की शुद्धता और स्त्रियों के स्त्रीत्व को बनाये रखने के लिए महिलाओं के सम्बन्ध में नियमों को और भी कठोर बना दिया था। महिला ि"ाक्षा पूरी तरह से समाप्त हो गयी थी और पर्दा प्रथा सभी महिलाओं के लिए अनिवार्य कर दी गयी थी। ब्रिटि"ाकाल में महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति में कुछ सुधार आया और स्वतंत्र भारत में तो इसे बहुत अधिक प्रेरित किया गया।

भारत में स्त्री ि"ाक्षा को सर्वप्रथम समाज सुधारकों तथा मि"ानरियों ने प्रोत्साहित किया। स्त्री ि"ाक्षा की दि"ाा में सबसे पहला प्रयास ईसाई मि"ानरियों ने

किया। सन् 1820 में डेविड हेयर ने स्त्री ि"ाक्षा का सबसे पहला विद्यालय कलकत्ता में स्थापित किया परन्तु स्त्री ि"ाक्षा को अपेक्षित प्रोत्साहन नहीं मिला। 1854 ई0 में वुड्स डिस्पैच में लार्ड डलहौजी ने सुझाया कि लोगों के नैतिक स्तर सुधारने में पुरूष ि"ाक्षा से अधिक स्त्री ि"ाक्षा सहायक होगी। इस प्रकार स्त्री ि"ाक्षा समाज सुधार का माध्यम मानी गयी, न कि दे"ा में स्त्री की स्वयं की स्थिति सुधारने की आव"यक शर्त। स्त्री ि"ाक्षा की इस सामाजिक उपयोगिता के बावजूद इस क्षेत्र में अधिक प्रगति नहीं हुयी। हंटर कमी"ान (1882) ने स्त्री ि"ाक्षा की आव"यकता पर बल देते हुए लिखा– ''मानव संसाधनों में सम्पूर्ण विकास के लिए, परिवार के सुधार के लिए तथा शै"ावावस्था के अत्यंत संवेदन"ाील वषा के दौरान बच्चों के चरित्र गढ़ने के लिए स्त्रियों की ि"ाक्षा तो पुरूषों की ि"ाक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है।''[7] इस आयोग ने भारत में स्त्री ि"ाक्षा को अत्यंत पिछड़ी हुयी द"ाा में पाया। अतः सन् 1882 तक स्त्री ि"ाक्षा में कोई वि"ोष प्रगति नहीं हो सकी। अतः कह सकते हैं कि भारत की जनता की ि"ाक्षा के प्रति ब्रिटि"ा सरकार की नीति उपेक्षापूर्ण थी।

19वीं शती का उत्तरार्द्ध और 20वीं शती का पूर्वाद्ध भारत के सांस्कृतिक पुनरूत्थान का काल था। अंग्रेजों का सम्पर्क और अंग्रेजी ि"ाक्षा बहुत थोड़े लोगों को प्रभावित कर सकी। सामान्य जनता में जो कुछ भी जागृति आई उसका श्रेय उन सांस्कृतिक आन्दोलनों को है, जिसके अग्रदूत बंगाल में राजाराम मोहनराय हैं और समस्त उत्तर भारत में महर्षि दयानन्द सरस्वती। राजाराम मोहनराय के आंदोलन पर अंग्रेजी संस्कारों की भी छाप है, जबकि दयानन्द सरस्वती का आंदोलन इस दृष्टि से भारतीय है। स्त्री ि"ाक्षा के पक्ष में दयानन्द सरस्वती ने अथक प्रयास किया, उनके आंदोलन का यह एक मुख्य अंग था। उनके द्वारा स्थापित संस्था आर्य समाज के कार्यक्रम में भी स्त्री कल्याण की योजनाओं का वि"ोष स्थान रहा है। स्त्री ि"ाक्षा की अनेक संस्थाएं आर्यसमाज ने इसी कार्यक्रम के अंतर्गत खोली। बंगाल में यही कार्य रामकृष्ण मि"ान ने किया। आज स्त्री ि"ाक्षा में जो जन जागृति दिखाई देती है, वह प्रमुख रूप से इन सांस्कृतिक आंदोलनो का और गौण रूप में अंग्रेजी ि"ाक्षा का समन्वित परिणाम है। यही कारण है कि 20वों शती के प्रारम्भ से स्त्री ि"ाक्षा के लिए वि"ोष रूचि दिखाई देती है।

श्रीमती एनीबेसेंट द्वारा 1904 में बनारस में हिन्दू गर्ल्स स्कूल की स्थापना की गयी। महर्षि कर्वे द्वारा पूना में 1916 में महिला वि"वविद्यालय की स्थापना स्त्री जगत की वि"ोष घटना है। सन् 1922 से 1947 के बीच स्त्री ि"ाक्षा का काफी विकास हुआ। इस दौरान स्वत्रंतता संग्राम की बागडोर महात्मा गाँधो के हाथों में रही। महात्मा गाँधी द्वारा स्वतंत्रता आन्दोलन को जन आन्दोलन का रूप दिये जाने के कारण इस आन्दोलन में महिलाओं ने अपने पुरूष सहभागियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य किये, अनेक कठिनाइयों का सामना किया। ऐसे ही समय में व्यावसायिक क्षेत्रों में भी स्त्रियों का प्रवे"ा हुआ। उन्होंने सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान में पुरूषों के समान ही भाग लिया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के प"चात दे"ा में ि"ाक्षा और वि"ोषकर स्त्री ि"ाक्षा पर वि"ोष बल दिया जा रहा है। इस विषय पर गहन विचार के लिए अनेक समितियों तथा आयोगों का गठन किया गया। वि"वविद्यालय ि"ाक्षा आयोग (1948–49) ने भी 'स्त्री–ि"ाक्षा' से सम्बंधित अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत की लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के प"चात 'स्त्री–ि"ाक्षा' के क्षेत्र में 'ने"ानल कमेटी फार वूमेन एजूके"ान' (1958) की स्थापना, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती दुर्गाबाई दे"ामुख थी, एक महत्वपूर्ण विकास का चरण कहा जा सकता है।[8] इस समिति ने स्त्री ि"ाक्षा के लिए सरकार द्वारा वि"ोष्ट अनुदान प्रदान करने के लिए बलपूर्वक सिफारि"ा को। इस समिति ने यह भी कहा कि इस अनुदान का प्रयोग लड़कियों के लिए मिडिल तथा सेकेण्डरी स्कूलों के विकास के लिए किया जाएगा। इस समिति ने 'ने"ानल काउंसिल फार वूमेन एजूके"ान' तथा 'स्टेट काउंसिल फार गर्ल्स एजूके"ान' की स्थापना के लिए सलाह दी। ि"ाक्षा मंत्रालय ने सन् 1959 में इन परिषदों की स्थापना की। 'ने"ानल काउंसिल' ने सन् 1961 में 'श्रीमती हंसा मेहता समिति' की नियुक्ति स्त्री–ि"ाक्षा के प्रत्येक स्तर पर पाठ्यक्रम के पुनरावलोकन के लिए की। सन् 1965 में भी श्री भक्तवत्सलम की अध्यक्षता में भी स्त्री ि"ाक्षा के लिए एक समिति की नियुक्ति हयी।

कोठारी कमी"ान (1964–66) ने भी स्त्री ि"ाक्षा से सम्बंधित मूल्यवान सुझाव तथा संस्तुतियां दी।[9] राष्ट्रीय समिति (1974) ने भी स्त्री ि"ाक्षा के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया। राष्ट्रीय ि"ाक्षा नीति (1986) तथा स"ोधित ि"ाक्षा नीति (1992) स्त्री ि"ाक्षा के संदर्भ में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस नीति ने पहली बार स्त्री की समानता के बुनियादी मुद्दों की चर्चा की और कहा कि ''स्त्रियों की सामाजिक स्थिति मे मूलभूत परिवर्तन के लिए ि"ाक्षा को माध्यम बनाना होगा–महिलाओं को अधिकार दिलाने तथा शक्ति"ाली बनाने में राष्ट्रीय ि"ाक्षा व्यवस्था एक सकारात्मक तथा मध्यस्थपूर्ण भूमिका निभायेगी। पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों की पुनर्रचना द्वारा नवीन मूल्यों की स्थापना की जाएगी।'' राष्ट्रीय ि"ाक्षा नीति ने सबसे अधिक बल महिलाओं की निरक्षरता उन्मूलन पर बल दिया। ि"ाक्षा के प्रत्येक स्तर पर व्यावसायिक ि"ाक्षा में महिलाओं की सहभागिता को महत्व दिया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मि"ान में भी महिलाओं की साक्षरता वि"ोषतः ग्रामीण महिलाओं की निरक्षरता उन्मूलन को ही महत्व दिया गया।

यह संदेह नहीं कि स्वतंत्रता प"चात स्त्री ि"ाक्षा के विकास के अनेक प्रयास हुए, संविधान में भो स्त्रियों की ि"ाक्षा के प्रावधान किये गये तथा विकासात्मक योजनाएं और कार्यक्रम चलाए गए हैं। इस प्रकार सभी स्तरों की ि"ाक्षा को महिलाओं के लिए खोल दिया गया। स्त्री ि"ाक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कन्या पाठ"ाालाएं, महिला महाविद्यालय तथा सहि"ाक्षा संस्थाएं अधिकाधिक संख्या में खोली गयी है जिससे महिलाओं की ि"ाक्षा के क्षेत्र में हर स्तर पर सहभागिता बढ़ी है और उन्हें अपनी क्षमता एवं योग्यता को प्रदि"ात करने का मौका मिला है। भारत के चहुंमुखी विकास के लिए चलाइ जा रही

पंचवर्षीय योजनाओं में महिला ि"ाक्षा पर काफो जोर दिया गया। इस प्रकार विभिन्न प्रयासों के माध्यम से महिला ि"ाक्षा में क्रम"ाः सुधार परिलक्षित होता है लेकिन सुधार की गति संतोषजनक नहीं है। सन् 1951 में कुल साक्षरता का दर 18.33 प्रति"ात था जिसमें क्रम"ाः पुरूष एवं महिला साक्षरता दर 27.16 प्रति"ात व 8.86 प्रति"ात था। सन् 2001 में कुल साक्षरता 64.8 प्रति"ात जिसमें क्रम"ाः पुरूष और महिला साक्षरता दर 75.3 प्रति"ात और 53.7 प्रति"ात था। सन् 2011 में कुल साक्षरता दर 73 प्रति"ात जिसमें से पुरूष साक्षरता दर 80.9 प्रति"ात और महिला साक्षरता दर 64.6 प्रति"ात हो गयी है। अतः एसा अनुभव होता है कि 'महिला साक्षरता' का क्रम"ाः विकास हो रहा है, लेकिन प्रगति बहुत धीमी है।

भारत में उच्च शिक्षा और स्त्री

पिछले लगभग डेढ़ सौ वर्षों में महिलाओं की ि"ाक्षा में एक असाधारण विकास हुआ है, जो आधुनिक भारत में जीवन की एक सर्वाधिक स्पष्ट वि"ोषता है। 19वीं शताब्दी के आरम्भ में लड़कियों की औपचारिक ि"ाक्षा के लिए शायद ही कोई व्यवस्था थी धीरे–धीरे स्त्री ि"ाक्षा में प्रगति हुयी। सर्वप्रथम ईसाई मि"ानरियों ने स्त्री ि"ाक्षा को प्रोत्साहन दिया। सन् 1820 में पहला बालिका विद्यालय ईसाई धर्म अपनाने वाले परिवारों के बच्चियों के लिए खोला गया। परन्तु स्त्री ि"ाक्षा को अपेक्षित प्रोत्साहन नहीं मिला। सन् 1901 में स्त्रियों की साक्षरता की प्रति"ातता कुल 0.8 प्रति"ात थी। उच्चतर ि"ाक्षा में लड़कियों का कुल नामांकन 264 था, जिसमें से 78 लड़कियां मेडिकल कालेजों में 11 ि"ाक्षा कालेजों में थी। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के प"चात से अब तक उच्च ि"ाक्षा स्तर पर महिलाओं के नामांकन में व्यापक स्तर पर वृद्धि हुयी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महिलाओं का नामांकन उच्च ि"ाक्षा स्तर पर 10 प्रति"ात से भी कम था, जो कि शैक्षिक सत्र 2012–13 में 44.40 प्रति"ात तक वृद्धि हो चुकी है। सन् 1950–51 में उच्चतर ि"ाक्षा में कुल 4 लाख नामांकन थे जिसमें से 3.5 लाख पुरूष एवं 0.5 लाख महिलाओं का नामांकन था। जो शैक्षिक सत्र 2012–13 में कुल 296 लाख नामांकन में 133 लाख महिलाओं का नामांकन हो चुका है। स्वतंत्रता के तुरन्त बाद का द"ाक विकास कार्यों और तकनीकी गतिविधियों से परिपूर्ण था इसमें ि"ाक्षा एक महत्वपूर्ण आव"यकता थी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उच्च ि"ाक्षा से सम्बंधित अनेक आयोगों का गठन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप उच्च ि"ाक्षा में स्त्रियों के प्रवे"ा को पोत्साहन मिला। वि"वविद्यालय ि"ाक्षा आयोग (1948–49) ने स्त्री ि"ाक्षा का महत्व इस प्रकार बताया है– ''स्त्री ि"ाक्षा के बिना लोग ि"ाक्षित नहीं हो सकते। यदि ि"ाक्षा को पुरूषों और स्त्रियों के लिए सीमित करने का सवाल हो तो यह अवसर स्त्रियों को दे दिया जाए, क्योंकि उनके द्वारा ही भावी संतान को ि"ाक्षा दी जा सकती है।''[10] इसके अतिरिक्त ि"ाक्षा आयोग (1964–66) ने स्त्रियों की ि"ाक्षा के संदर्भ में कहा है कि 'स्त्रियों की ि"ाक्षा पुरूषों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लड़कियों की ि"ाक्षा पर जितना भी जोर दिया जाये उतना ही कम है।'[11] इस प्रकार इन ि"ाक्षा आयोगों ने स्त्री ि"ाक्षा को प्रोत्साहन दिया है, जिसके परिणामस्वरूप स्वतंत्रता प"चात उच्च ि"ाक्षा में महिलाओं की सहभागिता में तीव्र वृद्धि हुयी।

इसके अतिरिक्त अनेक समाज"ाास्त्रियों, नारीवादियों तथा सामाजिक मानव"ाास्त्रियों ने स्त्रियों की शैक्षणिक स्थिति का अनुभवात्मक अध्ययन किया है। महिलाओं के लिए ि"ाक्षा की आव"यकता के संदर्भ में मीनाक्षी मुखर्जी (1984) का मत है कि 'पुरूषों से स्वतंत्र स्त्रियों की पहचान की अभिव्यक्ति वैचारिक दृष्टि से सम्भव है, परन्तु व्यावहारिक तौर पर नहीं।[12] एक पुरूष की अपेक्षा एक स्त्री क लिए सामाजिक अनुपालन बहुत आव"यक है। सामान्यतः एक महिला की पहचान स्वयं और अन्य लोगों द्वारा पुरूषों के साथ एक स्त्री और एक मां के रूप में की जाती है।' मीनाक्षी का मानना है कि परिवार ही स्त्रियों को गुलाम बनाने वाली संस्था नहीं है, समाज की प्रकृति ही ऐसी है जिसमें स्त्रियों के साथ अनुदार रूप में व्यवहार किया जाता है। अतः स्त्री ि"ाक्षा परिवार एवं समाज के विकास के लिए अपरिहार्य है।

ि"ाक्षा महिलाओं के जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करती है, चाहे वह पक्ष पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हो या अपने स्वास्थ्य, स्वच्छता व विकास के अधिकारों से सम्बंधित हो क्योंकि ि"ाक्षा आर्थिक स्वतंत्रता के साथ–साथ वैचारिक स्वतंत्रता भी देती है, उसे अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग करती है। नीता तपन (2000) का मत है कि 'अच्छा स्वास्थ्य जीवन की सभी गतिविधियों का आधारभूत है और महिलाओं में प्रजनन स्वास्थ्य तो उनकी परिस्थिति का निर्धारक तत्व है लेकिन प्रजनन स्वास्थ्य के लिए जिस जागरूकता की आव"यकता होती है, वह ि"ाक्षा से प्राप्त होती ह[13] जिससे महिलाएं स्वइच्छित प्रजननता, स्त्री गर्भपात को रोकने, बच्चों के बेहतर समाजीकरण व नियोजन विकास, लिंग समानता, सामाजिक तथा व्यावसायिक अवसरों के चयन में, पर्यावरणीय जागरूकता, धार्मिक वस्तुपरकता, राजनैतिक चेतना, विधि प्रावधान तथा महिला अधिकार, उत्पादन तथा उपभोग प्रतिमान आदि में नि"चत सामाजिक गति"ाीलता ध्वनित होगी।' अतः ि"ाक्षा द्वारा महिलाओं में स्वविवेक का संचार होता है और परिवार में भागेदारी करके सक्रिय भूमिका का निर्वहन करती है। वे जीवन सम्बंधी निर्णयों का गम्भीरता से वि"लेषण कर उसे क्रियान्वित करती हैं। यह क्रियाकलाप ही उन्हें परिवार व समाज में सम्मान प्रदान करते हैं।

विभिन्न सरकारी योजनाआ एवं गैर सकरकारी संगठनो के माध्मय से भी स्त्री ि"ाक्षा की आव"यकता के चेतना को बल मिला तथा साथ ही समाज में अभिभावकों के मानसिकता में लड़कियों की ि"ाक्षा के प्रति हुए बदलावों एवं लड़कियों के स्वयं अपने जीवन के प्रत जागरूकता ने उच्च ि"ाक्षा के प्रति उन्हें प्रोत्साहित किया है। महिलाओं के लिए ि"ाक्षा के प्रकार्यों के बारे में नीरा देसाई व ऊषा ठक्कर का अध्ययन द"ार्ाता है कि, 'जहां साक्षरता और प्रारम्भिक ि"ाक्षा सामााजिक तथा मानवीय आव"यकताओं की पूर्ति करती है और अधिक आय अर्जन तथा बेहतर स्वास्थ्य का साधन है। वही महिलाओं की उच्च ि"ाक्षा उनकी सामाजिक व व्यावसायिक गति"ाीलता को प्रेरित करती है ओर उनके बौद्धिक तथा व्यक्तिक

विकास को विस्तारित करने के साथ ही साथ एक अभिजात संस्कृति सृजित करती है।' अतः ि"ाक्षा एवं उच्च ि"ाक्षा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स"ाक्तीकरण को प्रेरित करती है।[14] इस प्रकार वर्तमान समय में महिला ि"ाक्षा के प्रति लोगों के व्यवहार और दृष्टिकोण में तीव्र गति से बदलाव आ रहा है। ि"ाक्षा को जीवन की सामान्य समस्याओं को सुलझाने के लिए अत्यंत आव"यक मानकर लड़कियों को उच्च ि"ाक्षा दी जा रही है जिससे वर्तमान में स्त्रियों की उच्च ि"ाक्षा स्तर पर सहभागिता में तीव्र वृद्धि दर्ज की गयी है।

उच्च शिक्षा स्तर पर विभिन्न विशयों व पाठ्यक्रमों में महिलाओं की सहभागिता

भारत में स्वतंत्रता पूर्वकाल में महिलाओं की ि"ाक्षा उन्हें कु"ाल गृहिणी बनने, एवं उनके लिए पढ़ा–लिखा अच्छा वर मिले, के उद्दे"य से दी जाती थी। अभी कुछ द"ाकों पहले तक महिलाओं को ि"ाक्षित तो किया जाता था लेकिन नौकरी करवाना उनकी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझाा जाता था। इसलिए महिलाएं कुछ परम्परागत एवं नारी शुलभ विषयों पाठ्यक्रमों में ि"ाक्षा अर्जित करती थी। स्वतंत्रता प"चात् विभिन्न ि"ाक्षा आयोगों ने भी पुरूषों एवं महिलाओं के लिए वि"ोष पाठ्यक्रम होने की ओर संकेत दिया है। इसी संदर्भ में वि"वविद्यालय ि"ाक्षा आयोग (1948–49) के अनुसार, 'स्त्री ि"ाक्षा का उद्दे"य उच्च वर्ग की स्त्रियों को कला के माध्यम से अपने समय के सदुपयोग के लिए सक्षम बनाने का था। वैसे तो यह आयोग स्त्री ि"ाक्षा में किसी प्रकार के भेदभाव का विरोधी नहीं था। परन्तु ि"ाक्षण कार्यक्रम बनाते समय स्त्री–पुरूष के वि"ोष गुणों पर ध्यान देना इस आयोग ने भी आव"यक माना है और सुझाया कि उच्च ि"ाक्षा में इन वि"ोष गुणों के विकास की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। इसने स्त्रियों को घरेलू अर्थ"ाास्त्र, नर्स, अध्यापन तथा कला के क्षेत्रों में प्र"िाक्षित करने की वकालत की।[15] इस प्रकार हंसा मेहता समिति (1962) ने भी माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के लिए गृह विज्ञान को सुझाया।[16] अतः भारतीय परम्परागत एवं रूढ़िवादी विचारों के कारण महिलाएं कुछ परम्परागत विषयों व पाठ्यक्रमों, जैसे– कला, समाज विज्ञान, मानविकी एवं गृह विज्ञान, नर्स आदि में अध्ययन करती रही हैं।

आज यह पुरातनपंथी दृष्टिकोण बदल रहा है। आज महिलाओं को अपनी इच्छा से विषय चनने एवं नौकरी करने की आजादी दी जाने लगी है। पहले लड़की की नौकरी उसके विवाह में समस्याएं पैदा करती थीं लेकिन अब कामकाजी वधू को वरीयता दी जाती है। करूणा चनाना (2007) ने कहा कि ''स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रथम चार द"ाकों में उच्च ि"ाक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है तथा वै"वीकरण के प्रभाव से महिलाओं ने परम्परागत विषयों के साथ–साथ विभिन्न वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उपस्थिति दर्ज करायी है।''[17] इस प्रकार वर्तमान में महिलाएं इंजीनियरिंग, वाणिज्य, प्रबंधन, चिकित्सा विज्ञान, कृषि, विधि व जनसंचार जैस गैर परम्परागत पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रही हैं तथा इन्हीं क्षेत्रों में कैरियर तला"ा रही है।

विभिन्न सत्रों में महिलाओं के नामांकन का प्रतिशात

संकाय	सत्र				
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
कला	49.08	45.66	41.21	41.91	42.66
विज्ञान	19.99	19.98	19.14	19.17	19.07
वाणिज्य/प्रबंधन	16.21	15.91	16.12	16.31	16.16
ि"ाक्षा	3.20	3.70	4.60	4.94	4.76
इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी	4.90	7.69	11.36	11.06	10.55
आयुर्विज्ञान	3.59	3.86	4.68	4.04	4.20
कृषि	0.27	0.27	0.36	0.29	0.30
प"ाु चिकित्सा विज्ञान	0.08	0.07	0.10	0.08	0.09
विधि	1.58	1.39	1.19	1.24	1.24
अन्य	1.10	1.47	1.24	0.96	0.97
कुल योग	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत : यू.जी.सी. वार्षिक रिर्पोट (2012–2013)[18]

उपर्युक्त सारिणी में सत्रवार विभिन्न विधाओं में महिला नामांकन की उपर्युक्त प्रति"ाता को द"ार्ाया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान में महिलाएं परम्परागत विधाओं के अतिरिक्त विभिन्न वैज्ञानिक, तकनीकी व व्यावसायिक विधाओं को अध्ययन के लिए चयन कर रही हैं।

भारत में ि"ाक्षा के विविध आयामों में परिवर्तन का प्रमुख कारण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, व्यक्तियो की जीविका अभिवृद्वि की प्राथमिकता और वैयक्तिक एवं पारिवारिक अपेक्षाओं के कारण हुआ है। वे महिला छात्र जो कैरियर के लिए गम्भीर थीं, वे कला संकाय वि"ाषकर विज्ञान संकाय से वाणिज्य और विधि शास्त्र विषय की ओर आकर्षित होने लगी। विधि विषय जिसमें अभी तक पुरूषों का एकाधिकार था, उसने अपने दरवाजे महिलाओं के लिए खोल दिये। अतः वर्तमान दौर में महिलाएं परम्परागत विषयों से रोजगारोन्मुख विषयों में ि"ाक्षा अर्जित कर अपने कैरियर का आधार बना रहीं है। अतः कहा जा सकता है कि महिलाओं द्वारा विषयों की चयन की प्रवृत्ति में बदलाव हुआ है।

निष्कर्ष

आज महिलाएं न केवल प्राथमिक व माध्यमिक बल्कि उच्च ि"ाक्षा में व्यापक स्तर पर उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। जिसके परिणामस्वरूप न केवल उनमें जागरूकता व चेतना जागृति हुई है अपितु उनकी प्रस्थिति

में सुधार हुआ है। पहले महिलाएं आर्थिक समस्याओं की वजह से मजबूरीव"ा घर की चारदीवारी को लांघकर व्यावसायिक क्षेत्र में सक्रिय होती थीं लेकिन अब महिलाएं अपने आत्मसम्मान व सुनहरे भविष्य के लिए उच्च ि"ाक्षा प्राप्त कर रही हैं। रोजगारोन्मुख विषयों व पाठ्यक्रमों जैसे वाणिज्य, विधि, इंजीनियरिंग व तकनीकी क्षेत्रों में बढ़ता प्रवे"ा यह संकेत दे रहा है कि ि"ाक्षा को उदार स्थिति बहुसंख्यक छात्रों के हित में सफल हो रही है क्योंकि महिलाओं में रोजगार उन्मुखता का प्रचलन दिख रहा है। रोजगार के अवसरों के खुलने और स्वरोजगार की सम्भावनाओं से महिलाओं द्वारा गैरपरम्परागत विषयों व पाठ्यक्रमों को अपनाने की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखने लगी है क्योंकि महिलाओं के लिए पारिवारिक एवं व्यावसायिक भूमिकाओं को एक साथ निभाने की आव"यकता है। आज आर्थिक मजबूरी न होने के बावजूद उच्च वर्ग की महिलाएं उच्च व व्यावसायिक ि"ाक्षा पाप्त कर समाज में अपनी स्वतंत्र पहचान बना रही हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Francis J, Brown (1947), 'Educational Sociology' Prentice Hall; New York, P.165
2. T. Raymont, 'Modern Education, Longman Green and company; London.
3. एम0एल0 मित्तल (2012), 'उदीयमान भारतीय समाज म ि"ाक्षा, नई दिल्ली, पियर्सन, पृ. 2
4. उमारानी शर्मा (2012), ि"ाक्षा के दा"ार्निक एवं समाज"ाास्त्रीय आधार, पियर्सन, पृ. 21
5. Report of the University Education Commission (1950), Government of India, New Delhi.
6. Report on Education in India (Kothari Commission) 1965, New Delhi.
7. रवीन्द्र अग्निहोत्री (2010), आधुनिक भारतीय ि"ाक्षा : समस्याएं और समाधान, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
8. Report of the National Committee on Women Education (1959), Government of India, New Delhi.
9. Report on Education in India (Kothari Commission) 1965, New Delhi.
10. Report of the University Education commission (1950), Government of India, New Delhi.
11. Report on Education in India (Kothari Commission) 1965, New Delhi.
12. Meenakshi Mukharjee (1984), 'Reality & Realism –Indian Women as Protagonists in Four Ninteenth Century Novels' in Economic and Political Weekly, Vol. XIX No. 2.
13. Neeta Tapan (2000) Need for women's Empowerment,'Rawat Publication, Jaipur.
14. Neera Desai and Usha Thakkar (2001), Women in Indian Society, National Book Trust; New Delhi.
15. Report of University Education Commission (1950), Government of India, New Delhi.
16. Report on Hansa Mehta Commission on Differentiation in Curriculum for Boys & Girls (1964), New Delhi.
17. Karuna Chanana (2007), 'Globalisation, Higher Education and Gender : Changing Subject Choices of Indian Women Students' in Economic & Political Weekly, Vol. 42, No. 7.
18. University Grant Commission Report (2013-14), UGC, New Delhi.